ISSN: 2278-4632
Vol-15, Issue-04, No.04, April: 2025

मौर्य सम्राट अशोक महान धम्म एवं प्रशासन

डॉ. सरोज शर्मा सहायक आचार्य, एस.बी.एन. (पी.जी.) महाविद्यालय, सिद्धमुख

प्रस्तावना :

अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार मगध के नेतृत्व में भारतीय राजनीतिक जीवन को एक स्थिरता प्राप्त हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना ने इस प्रक्रिया को और सुदृढ़ कर दिया जब उनके द्वारा मगध पर अधिकार कर भारत में प्रथम उपमहाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना से संगठित राजनीतिक जीवन का सूत्रपात किया गया।
यह शोध पत्र हमें भारतीय इतिहास में मौर्यवंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक के महत्व से परिचित कराता है। जिसमें मुख्य ध्यान अशोक की राजनीतिक उपलब्धियों, उसकी धम्म नीति के साथ अनूठे प्रयास और प्रशासनिक सुधारों पर केन्द्रित रहेगा।

उद्देश्य :

इस शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य है –

- अशोक के राज्यारोहण और उसकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में जानना।
- अशोक के धम्म, और उसको स्वरूा को जानना।
- अशोक के प्रशासन की संरचना को समझना।

अशोक महान :

सम्राट अशोक, भारतीय इतिहास के साथ–साथ विश्व के इतिहास में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह चन्द्रगुप्त मौर्य का पौत्र था जो 273 ई0 पू0 में बिन्दुसार की मृत्यु के पश्चात् मौर्य साम्राज्य का शासक बना।
वैसे तो दिव्यावदान, अशोकावदान इत्यादि बौद्ध ग्रन्थ ऑाोक के विषय में हमें बहुत कुछ बताते है। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के कारण बौद्ध वृतांत न तो वस्तुनिष्ठ है और ना ही पूर्वाग्रह से रहित। जेम्स प्रिंसेप द्वारा सम्राट अशोक के अभिलेखों की खोज के पहले इस शासक के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं थी। 1837 मे सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने एक ब्राह्मी लिपि में लिखित शिलालेख में देवानाम प्रिय प्रियादसी (देवताओं का प्रिय) नामक राजा के उल्लेख की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। और इस प्रकार अशोक भारतीय इतिहास के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया।

प्रारम्भिक जीवन एवं राज्यारोहण :

यद्यपि अशोक के बहुत से अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त हुए हैं। परन्तु हमें उसके प्रारम्भिक जीवन की जानकारी के लिए मुख्यतः बौद्ध साहित्यों–दिव्यावदान और सिंहली अनुश्रुतियों पर निर्भर रहना पड़ता है। अशोकावदान के विवरणानुसार अशोक की माँ सुभद्रांगी चम्पा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। षडयंत्रों के कारण कुछ समय के लिए महल से उसका निष्कासन हो गया था। निष्कासन की स्थिति समाप्त हो जाने के बाद उसे महल में वापस बुला लिया गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ऐसी सुखद घटना के बाद उसके मुख से सहज निकला 'मै अशोक रहित हूँ', कदाचित इस कथन के आलोक में उसका नाम अशोक पड़ा। वंसत्थपकासिनी में अशोक की माँ का नाम धर्मा मिलता है। अशोक 18 वर्ष का ही था कि उसके पिता बिन्दुसार ने उसे अवन्तिराष्ट्र का वायसराय नियुक्त कर,उसे अवन्ति की राजधानी उज्जयिनी भेजा। यहीं पर अशोक का विवाह महादेवी नामक कन्या से हुआ। महेन्द्र और संघमित्रा महादेवी की ही संतान थे।
युवराज बनने से पहले अशोक ने तक्षशिला के विद्रोह को भी सफलतापूर्वक दबाया था। यह माना जाता है बिन्दुसार की मृत्यु के पश्चात् अशोक ने अपने मन्त्री खल्लाटक या राधागुप्त की सहायता से सिंहासन के लिए अपने भाइयों की हत्या की थी। दिव्यावदान और सिंहलीपरम्परा में बिन्दुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष की बात कही गई है। परन्तु इस सन्दर्भ में स्वतंत्र प्रमाणों का अभाव है। डा. स्मिथ का मानना है कि अशोक के राज्यारोहण और राज्याभिषेक के बीच 4 वर्ष के अन्तराल के आधार पर अशोक का उत्तराधिकार विवादग्रस्त स्वीकार किया जा सकता है परन्तु इस आधार पर उत्तराधिकार युद्ध और अशोक को अपने भाइयों का हत्यारा नहीं माना जा सकता क्योंकि अशोक के अभिलेख जो मौर्य इतिहास के अध्ययन के प्रमाणिक साधन हैं, उसके जीवित भाईयों के परिवार की उपस्थिति पर प्रकाश डालते हैं। पुनः इस सम्बन्ध में बौद्ध ग्रन्थों के अध्ययन में सावधानी की आवश्यकता है। ये ग्रन्थ धार्मिक प्रवृत्ति के हैं जो बौद्ध होने से पूर्व अशोक को निर्दयी एवं अत्याचारी शासक के रूप में चित्रित करते हैं।

Copyright @ 2025 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-15, Issue-04, No.04, April: 2025

राज्यारोहण (269 ई.पू.) के चार वर्ष पश्चात् अशोक का विधिवत् राज्याभिषेक हुआ और इस प्रकार 273 ई.पू. के लगभग अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानामप्रिय देवानामप्रियदसि तथा राजा की उपाधियों से सम्बोधित किया गया है। मास्की तथा गूजर्रा के लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। पुराण उसे 'अशोक वर्धन' कहते हैं।

राजनीतिक उपलब्धियाँ :

राज्याभिषेक के बाद अशोक ने प्रथम तेरह वर्षों में अपने पिता और पितामह की परम्परागत नीति का ही अनुसरण किया। अपने पिता की ही तरह अशोक को भी विरासत में भारतीय उपमहाद्वीप का विशाल भू–भाग साम्राजय के रूप में प्राप्त हुआ था। उसके पड़ोस का एकमात्र राज्य कलिंग (आधुनिक ओड़िशा) उसके अधिकार में नहीं था। कलिंग रणनीतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण था। यह वन संसाधनों में समृद्ध था और पूर्वी तट के माध्यम से प्रायद्वीपीय भारत के मौर्यकालीन व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। अतः राजनैतिक एवं आर्थिक कारकों से प्रेरित होकर अशोक ने 260 ईसा पूर्व में कलिंग के विरूद्ध अभियान कर उसे अपने राज्य मे मिला लिया। यह सैन्य अभियान भारतीय इतिहास के विनाशकारी अभियानों में से एक था जिसमें भीषण रक्तपात एवं नरसंहार की घटनायें हुयी। कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर विनाश ने सम्राट अशोक को पश्चाताप से भर दिया, हालांकि, तेरहवें शिलालेख में जहाँ कलिंग युद्ध और उसके परिणामों की चर्चा की गई है, अशोक ने लिखा है कि जब एक अजेय क्षेत्र की विजय की जाती है तो ऐसी मृत्यु और विनाश अवश्यंभावी हैं। विजित कलिंग में राजवंश के किसी राजकुमार को वहाँ का उपराजा नियुक्त किया गया जो तोसली नामक स्थान पर निवास करता था। इस सन्दर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि भले ही युद्ध के बाद अशोक का हृदय द्रवित हो गया परन्तु पश्चाताप करने के बावजूद कलिंग के जंगल के निवासियों के लिए चेतावनी जारी की और यह याद दिलाया कि अपने पश्चाताप की अवधि में भी वह दण्ड देने की शक्ति रखता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि कलिंग के किसी क्षेत्र में अपने पछतावे को शिलालेख द्वारा व्यक्त करने से अशोक परहेज करता दिखाई देता है। यहाँ शिलालेख 13 की जगह प्रतिस्थापित शिलालेख मिलते हैं जिसमें अशोक ने अधिकारियों को निर्देश और अच्छे प्रशासन के मूल्य पर जोर दिया है। अशोक के ये आदेश धौली एवं जौगड़ नामक स्थानों पर सुरक्षित है। मगध तथा सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में कलिंग की विजय एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके पश्चात् मौर्यो की विजयों तथा साम्राज्य विस्तार का वह दौर समाप्त हो गया जो बिम्बिसार द्वारा अंग राज्य की विजय के बाद से आरंभ हुआ था। इसके बाद एक नया युग प्रारम्भ हुआ यह युग शान्ति, सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार का युग था। यहीं से सैन्य विजय से स्थापित राजसत्ता के स्थान पर आध्यात्मिक विजय से धम्म सत्ता की स्थापना का युग आरम्भ हुआ।

साम्राज्य विस्तार :

अशोक के अभिलेख उसकी साम्राज्य सीमा से हमारा परिचय कराते हैं। उत्तर पश्चिम में शाहबाजगढ़ी (पेशावर जिले में स्थित) और मानसेहरा (हजारा जिले में स्थित) से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त कन्दहार के समीप शरेकुना तथा जलालाबाद के निकट काबुल नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित 'लघमान' से अशोक के अरामेइक लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उनके वितरण से ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान में कांधार तक विस्तृत था। इस बात का उल्लेख पहले भी किया जा चुका है कि ये क्षेत्र चन्द्रगुप्त के समय में ही मौर्य साम्राज्य के अर्न्तगत हो गए थे। पश्चिम भारत में राजस्थान के बैराट और काठियावाड़ के जूनागढ़ से भी अशोक के अभिलेख मिले हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र का उसकी साम्राज्य सीमा के अंर्तगत होने का समर्थन रूद्रदामन की प्रशस्ति से भी होता है। कलिंग विजय का स्पष्ट उल्लेख तेरहवें शिलालेख में मिलता है।इस प्रकार अशोक के साम्राज्य की पूर्वी सीमा उड़िसा तक फैली हुई थी। वस्तुतः सुदूर दक्षिण के एक छोटे हिस्से को छोड़कर संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप मौर्य साम्राजय के अधीन था। सुदूर दक्षिण का यह क्षेत्र चोल तथा पांड्य (शिलालेख–13) तथा केरलपुत्रों और सतियपुत्रों (शिलालेख–2) द्वारा शासित था। उसके साम्राज्य में विविध मूल एवं संस्कृति के लोग निवास करते थे जैसे उत्तर पश्चिम में कम्बोज और यवन, तथा पश्चिम और दक्कन भारत में भोज, पितिनिका, आन्ध्र, तथा पुलिंद।

अशोक का धम्म :

अशोक की लोकप्रियता उसके बौद्ध धर्म से सम्बन्ध और उसकी जनकल्याण की अवधारणा से जुड़ी हुई है। जिस पर बौद्ध साहित्य और उसके द्वारा निर्गत अभिलेख प्रकाश डालते हैं। अशोक की धम्म नीति एक जटिल

Copyright @ 2025 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-15, Issue-04, No.04, April: 2025

सामाजिक संरचना के सामने आने वाली कुछ समस्याओं को हल करने का एक ईमानदार प्रयास था। वस्तुतः अशोक की धम्म नीति और उसका प्रचार अशोक के विश्व इतिहास में प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण है।
अशोक की धम्म नीति इतिहासकारों के बीच निरंतर चर्चा का विषय रही है। विशेषरूप से इतिहासकारों में यह मतभेद रहता है कि धम्म का स्वरूप क्या था? अशोक के व्यक्तिगत आस्था के साथ उसका क्या संबंध था?

प्रमुख तत्व :

धम्म संस्कृत के शब्द धर्म का ही प्राकृत रूपान्तर हैं, परन्तु अशोक के लिए इस शब्द का विशेष महत्व है। उसके अधिकांश अभिलेख धम्म अभिलेख है जो सम्पूर्ण साम्राज्य के लोगों को धम्म के सिद्धान्तों से परिचित कराने के उद्देश्य से उत्कीर्ण कराए गए थे। यदि स्तम्भ अभिलेख संख्या छः के विवरण को देखें तो ज्ञात होता है कि धम्म अभिलेखों का व्यवहार जिसे अशोक धम्म लिपि कहा जाता है, उसके राज्याभिषेक के 12 वर्ष बीत जाने के बाद शुरू हुआ। प्रायः इस समय से लेकर अपने शासन के अंत तक अशोक ने बड़े प्रयत्नों से धम्म का प्रसार–प्रचार किया, उसकी व्याख्या की। अशोक के अभिलेख धम्म की संक्षिप्त एवं सटीक व्याख्या हमारे समक्ष प्रस्तुत करते है।
दूसरे और सातवें स्तम्भ लेख में अशोक ने स्वयं धम्म की व्याख्या की है और धम्म के गुणों को विस्तार से बताया है। धम्म–अल्प पाप, अत्याधिक कल्याण है, दया है, दान है, सत्यवादिता है, पवित्रता है, मृदुता और साधुता है।
इसके साथ–साथ धम्म के विधायक एवं निषेधात्मक पक्ष को स्पष्ट करते हुए अशोक धम्म का पालन करने वालों की जीवहिंसा से बचने, माता–पिता की आज्ञा मानने, गुरूजनों के प्रति आदर का भाव प्रदर्शित करने, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता दिखाने एवं उचित व्यवहार करने तथा दासों और भृत्यों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करने का आदेश देता है। वह यह भी कहता है कि धम्म का पूर्ण पालन तभी संभव है जब मनुष्य न केवल उसके गुणों का पालन करे बल्कि विकारों अर्थात् प्रचण्डता, निष्ठुरता, क्रोध, घमण्ड, ईष्या से भी स्वयं को दूर रखें। धम्म की प्राप्ति हेतु इनसे बचना आवश्यक है क्योंकि आसिनव धम्म की प्रगति को रोकता है।
धम्म की प्राप्ति हेतु अशोक ने अभिलेखों में अन्य उपायों का भी चर्चा की है। प्रथम शिलालेखों के अनुसार ''अत्यन्त धर्म कामना, अत्यन्त परीक्षा, अत्यन्त शुश्रुषा, अत्यन्त भय और अत्यन्त उत्साह के बिना ऐहिक और पारलौकिक उद्देश्य कठिनाईपूर्वक प्रतिपादित होने वाले है। अतः इस प्रयोजन हेतु अशोक ने धर्मगुरू, धर्मचारण, धर्म यात्रा, धर्ममंगल एवं धर्मदान की व्यवस्था की। इन गुणों के पालन से ही वास्तविक धम्म को प्राप्त किया जा सकता था।
उपरोक्त व्यवहारिक पक्षों के साथ–साथ अशोक ने धम्म के सैद्धान्तिक पहलूओं को भी बताया। वह परलोक में विश्वास करता था और अपनी प्रजा के भौतिक एवं इहलौकिक कल्याण की भी कामना करता था। इस हेतु उसने धम्म मंगल की श्रेष्ठता और धम्मदान की महत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रकार उसने धम्म को अपने शासन का आधार बना लिया।

धम्म का स्वरूप :

अगर धम्म की व्याख्या की ध्यान से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अशोक के धम्म में जिन सामाजिक और नैतिक आचारों का समावेश दिखाई देता है वह सभी सम्प्रदायों में समान रूप से श्रद्धेय माने जाते हैं। अशोक के धम्म की अवधारणा और उसके स्वरूप के संबंध में विद्वानों और इतिहासकारों में मतैक्य का अभाव देखने को मिलता है। अनेक विद्वानों की धारणा है कि अशोक का धम्म वस्तुतः बौद्धधर्म ही था। इस मत का आधार आरम्भ में अशोक का बौद्ध मतानुयायी होना है जिसकी पुष्टि महावंश से होती है। लेकिन गहनता से विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि अशोक के धम्म को बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें न तो महात्मा बुद्ध के चार आर्य सत्यों का उल्लेख है, न अष्टांगिक मार्ग हैं, और ना आत्मा–परमात्मा संबंधि अवधारणाएं ही हैं। कुछ इतिहासकार मानते है कि यह एक वैश्विक धर्म था जिसमें विभिन्न सम्प्रदायों के अच्छे तत्वों का समावेश किया गया था। कुछ इतिहासकारों ने इसकी व्याख्या राजधर्म की तरह की है। जहाँ अशोक ने सम्राट के रूप में राजनीतिक एवं अन्य नैतिक सिद्धान्तों पर बल दिया है और यह सिद्धान्त ब्राह्मण एवं बौद्ध दोनों परम्पराओं से प्रभावित दिखाई देता है।
रोमिला थापर ने स्पष्ट किया है कि अशोक का धम्म न केवल मूलभूत मानवीयता का अद्भुत दस्तावेज है बल्कि उस समय की सामाजिक–राजनैतिक आवश्यकताओं का उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करने का सफलतम प्रयास

Copyright @ 2025 Author

था। कुछ अन्य विद्वान अशोक के धम्म को एक राजनैतिक चाल समझते है जिसका मूल उद्देश्य कलिंग युद्ध में हुए भारी नर–संहार से उत्पन्न जनाक्रोश को शान्त करना रहा होगा। लेकिन यह मत स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि 13वें शिलालेख में व्यक्त अशोक की भावनाओं से स्पष्ट है कि अशोक सच्चे हृदय से अपनी प्रजा का भौतिक तथा नैतिक कल्याण करना चाहता था और उसकी धम्म नीति का मूल यही था। इसके पीछे कोई राजनैतिक चाल खोजना ठीक नहीं होगा।

धम्म प्रचार के उपाय :

अशोक द्वारा धम्म प्रचार के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी उसके सातवें स्तम्भाभिलेख से मिलती है। साथ ही प्रथम माइनर शिलालेख से पता चलता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के ढाई वर्षो तक वह साधारण उपासक ही रहा और इस दौरान प्रथम वर्ष में उसने धम्म प्रचार में कोई रूचि नहीं ली। उसके बाद उसने संघ में प्रवेश किया और धम्म प्रचार में काफी दिलचस्पी लेने लगा। उसने अपने साम्राज्य की चट्टानों तथा पाषाण–स्तम्भों पर अपने उद्देश्यों को अंकित करवाया। अशोक ने अपने प्रशासनिक ढाँचे का प्रयोग धम्म प्रचार के लिए किया। उसने इस क्रम में धार्मिक घोषणाएँ करवाई, धर्मस्तम्भों का निर्माण करवाया तथा धर्म–महामात्रों की नियुक्ति की और धम्म महामात्रों को धम्माधिथान तथा धम्मवधि का कार्य सौपा गया।

अशोक ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष सम्बोधि का मार्ग ग्रहण करते हुए विहार यात्राओं के स्थान पर धर्म यात्राएं आरम्भ कीं। इन यात्राओं में अशोक ब्राह्मणों तथा साधुओं का बड़ी आदर भावना के साथ दर्शन करता था और गुरूजनों के पास स्वर्ण मुद्राओं की भेंट लेकर जाता था। अपने अभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने नेपाल की तराई में स्थित निग्लीवा (निगाली सागर) की धार्मिक आस्था से यात्रा की और वहाँ स्थित कनकमुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को द्विगुणित करवाया इसी क्रम में 20वें वर्ष बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनि ग्राम की यात्रा कर वहां शिलास्तम्भ की स्थापना की और पूजा करने के बाद वहाँ का भू–कर घटाकर 1/8 कर दिया।

अशोक ने अपने व्यक्तिगत कार्यों से भी धम्म का प्रचार किया। उसने जनता के समक्ष एक ऐसा आर्दश प्रस्तुत किया, जिससे प्रभावित होकर सभी धर्मानुशासित व्यवहार कर सकें। उसने अहिंसा की नीति का पालन करते हुए युद्ध बंद करवा दिया। स्वयं उसने मांस मदिरा का त्याग कर हिंसायुक्त सामाजिक उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही साथ धम्म सभाओं की व्यवस्था की जिसमें विमानदर्शन, हस्तिदर्शन, अग्निस्कन्ध इत्यादि स्वर्ग की झाँकियाँ प्रस्तुत की जाती थीं। जिसके परिणामस्वरूप धम्म के प्रति लोगों का अनुराग बढ़ा।

धम्म प्रचार के तहत अशोक ने देश के विभिन्न भागों एवं विदेशों में प्रचार–मिशन भी भेजे। चोल, पाण्ड्य, सतियपुत्र, केरलपुत्र, काश्मीर तथा गांधार, महिषमण्डल, अपरान्तक, महाराष्ट्र, वनवासी के अतिरिक्त प्रचार–मिशन खोतान(मध्य एशिया),सिंहलद्वीप (श्रीलंका), सुवर्णभूमि (सुमात्रा), पश्चिम के यवन शासकों (सीरिया, मिस्र, मकदूनिया, साइरिन एपीरस) के पास धर्म प्रचारक भेजे गए। कहा जाता है कि तृतीय बौद्ध संगीति की समाप्ति के बाद अशोक ने इन धर्म प्रचारकों को विभिन्न स्थानों के लिए भेजा था। इन सभी मिशनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था अशोक द्वारा अपने पुत्र महेन्द्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजना। इसके परिणामस्वरूप भारतीय बौद्ध धर्म देश की सीमा के बाहर स्थापित हो सका।

अशोक ने धम्म प्रचार से तत्कालीन राजनीतिक जीवन एवं सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। वह प्रथम शासक था जिसने मानव के नैतिक उत्थान के लिए इतना अधिक प्रयास किया।

अशोक का प्रशासन :

अशोक भारतीय इतिहास में एक महान विजेता और सफल धर्म प्रचारक के रूप में ही विख्यात नहीं है। बल्कि उसकी ख्याति एक कुशल प्रशासक के रूप में भी है। उसने प्रशासन को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था में आवश्यकतानुसार परिवर्तन एवं सुधार किए।

राजत्व का सिद्धान्त :

अशोक का राजत्व से जुड़ा आर्दश कदाचित् अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित आदर्शों से मेल खाता है, किन्तु प्रशासन में अशोक की विशिष्ट छाप उसके अभिलेखों में प्रतिबिम्बित होती है। अशोक ने राजत्व और देवत्व में सम्बन्ध स्थापित कर प्रशासन को कल्याणकारी बनाने का प्रयास किया है। उसकी देवानांप्रिय की उपाधि अशोक द्वारा दैवीय सत्ता से सम्बन्ध को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न था। अशोक ने सर्वजनहिताय का स्पष्ट संदेश दिया और अपनी प्रजा के ऐहिक और शरलौकिक कल्याण को महत्वपूर्ण माना। अशोक के पितृसत्तात्मक आर्दश शिलालेख संख्या–1 तथा 2 में प्रतिबिंबित है। जिसमें वह कहता है ''सारी प्रजा मेरी संतान

 Copyright @ 2025 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-15, Issue-04, No.04, April: 2025

है। जिस प्रकार अपनी संतान के लिए मैं कामना करता हूँ, उनका इस लोक में तथा परलोक में कल्याण हो, उसी प्रकार अपनी समस्त प्रजा के लिए भी कामना करता हूँ। अशोक का यह राजनीतिक आदर्श अत्यन्त उच्च कोटि का था। तत्कालीन विश्व के किसी अन्य सम्राट ने इतने स्पष्ट शब्दों में प्रजा के कल्याण के लिये व्यग्रता प्रकट नहीं की थी। अशोक सभी जीवों के प्रति अपने ऋणी होने की बात रखता है (शिलालेख संख्या–6) तथा उनके कल्याण की कामना करता है जो उसके सीमांत प्रदेश से बाहर निवास करते है (पृथक शिलालेख संख्या–2)। जनकल्याण के लिए अशोक ने सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, कूप निर्माण, मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालयों की स्थापना की और लोगों को धम्म पालन का निर्देश दिया। परन्तु लोककल्याण के साथ–साथ अशोक द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुसरण के सन्दर्भ में आवश्यकता एवं बाध्यता का स्वर भी देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ शिलालेख संख्या–2 में अशोक सीमांत प्रदेश के अविजित समुदायों को संबोधित करते हुए कहता है कि उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए कि उनके वही अपराध क्षमा किये जा सकेगें जो क्षम्य हों।

राजा एवं परिषद :

राजा– अशोक के अभिलेखों से स्पष्ट हो जाता है कि सम्राट में ही राज्य की सभी शक्तियां निहित थीं। राज्य के सभी विभाग उसके नियंत्रण में थे। राज्य के सभी पदाधिकारी उसी के द्वारा नियुक्त किये जाते थे और अपने कार्यो के लिए उसी के प्रति उत्तरदायी थे। परन्तु अशोक एक निरंकुश शासक न होकर प्रजावत्सल शासक था।

परिषद– अपने पूर्वजों की तरह अशोक ने भी मंत्रि–परिषदीय सरकार कायम रखी। उसने तीसरे तथा छठे शिलालेख में परिषा या परिषद का उल्लेख आया है। इसका मुख्य कार्य राजा को मंत्रणा देना, राजाज्ञा का पालन करवाना, राज्य की नीतियों को कार्यान्वित करना और विवादास्पद मामलों को राजा के पास फैसले के लिए भेजना था। सिद्धान्ततः परिषद राजा के अधीन थी परन्तु व्यवहारिक रूप में यह राजा के अनुचित कार्यो पर नियंत्रण भी रखती थी। उदाहरणार्थ अशोकावदान में उल्लिखित है कि परिषद ने अशोक को कुक्कुटाराम विहार को दान देने से रोक दिया था।

पदाधिकारी– शिलालेखों में अशोक के अनके पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। पदाधिकारियों की विभिन्न श्रेणियाँ सम्राट तथा राजकुमारों की राजकाज में सहायता के लिए होती थी–

(1) महामात्र या अन्य मुख्य
(2) राजुक और रठिक
(3) प्रदेशिक या प्रादेशिक
(4) युत
(5) पुलिस
(6) परिवेदका
(7) वचभूमिका
(8) लिपिकार
(9) दूत
(10) आयुक्त और कारनक

महामात्र अशोक के प्रशासन में महत्वपूर्ण अधिकारी थे इनका उल्लेख ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख, कलिंग, सारनाथ एवं कौशांबी शिलालेखों में हुआ है। ये प्रांतीय शासन, जिला शासन, के साथ–साथ अन्य महत्वपूर्ण विभागों की देखभाल करते थे। कुछ विशिष्ट श्रेणी के महामात्रों में अंत–महामात्र (सीमांत प्रदेश के महामात्य) का उल्लेख किया जा सकता है। धम्म महामात्र अशोक द्वारा सृजित किया गया महामात्रों का नया विभाग था, जिसकी स्थापना उसने अपने राज्यारोहण के 9 वर्ष बीत जाने पर की थी। जिनका मुख्य कार्य धम्म का पालन करवाना था।

जहाँ तक राजूक शब्द का प्रश्न है, डॉ. स्मिथ के अनुसार यह पद कुमारों के नीचे होता था जिसका अर्थ तत्कालीन गर्वनर था। चतुर्थ स्तम्भ अभिलेख के अनुसार राजुकों की नियुक्ति एक–दो लाख की जनसंख्या पर होती थी तथा इनक मुख्य कार्य जनपदों की शांति व व्यवस्था कायम रखना था। अशोक ने राजूकों को दंडित या पुरस्कृत करने का अधिकार दे रखा था।

विभिन्न स्थानों के स्थानीय शासक प्रादेशिक होते थे। तृतीय शिलालेख में प्रादेशिकों को राजूकों में भी शामिल कर लिया गया है। इनका प्रमुख कार्य बालि–प्रगह (कर वसूलना या हठी सामन्तों का दमन), कण्टक–शोधन (फौजदारी मुकदमों को देखना), चोर मार्गण (चोरों का पता लगाना) आदि था।

Copyright @ 2025 Author

जहाँ तक युत या युक्त वर्ग के लोगों का प्रश्न है, ये लोग एक प्रकार के सचिव थे जो महामात्रों के कार्यालयों में सरकारी आदेशों को कानून बद्ध करने के लिए नियुक्त किये गये थे। पुलिसा शब्द भी अर्थशास्त्र के पुरूष या राजपुरूष का समानार्थी प्रतीत होता है। इनके अधिकार में राज्य की बड़ी जनसंख्या और राजुक लोग होते थे। 'पटवेदिका' अर्थशास्त्र में उल्लिखित चर शब्द का समानार्थी लगता है। 'वचभूमिक' शब्द संभवतः इन्सपेक्टर या निरीक्षक के अर्थ में प्रयुक्त होता था। लिपिकार लोग राजाज्ञाओं के लेखक होते थे। तेरहवें शिलालेख में उल्लिखित दूत शब्द आजकल के राजदूत की तरह रहा होगा। अर्थशास्त्र दूतों की तीन श्रेणियों के बारे में बताता है। आयुक्त गांवों में नियुक्त एक प्रकार के अधिकारी थे।

प्रान्तीय प्रशासन :

अशोक के शिलालेखों से यह स्पष्ट होता है कि अशोक ने अपने पूर्वजों की तरह प्रान्तीय सरकारों की व्यवस्था को कायम रखा। तोसली, सुवर्णगिरी उज्जयिनी तथा तक्षशिला के प्रान्त राजवंश के युवराजों द्वारा शासित थे। अशोक पुत्र कुणाल तक्षशिला का राज्यपाल था। अन्य प्रान्तों में दूसरे उच्च पदाधिकारीयों को राज्यपाल नियुक्त कया जाता था। रूद्रदामन के गिरनार शिलालेख से पता चलता है कि 'यवन तुषास्प' काठियावाड़ प्रान्त में अशोक का राज्यपाल था। प्रान्तों को अहार अथवा विषयों में विभक्त किया गया था, जिसका प्रशासन विषयपति के जिम्मे था। गाँव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था।

न्याय प्रशासन :

अशोक ने न्याय प्रशासन की ओर विशेष ध्यान दिया। उसने प्रचलित दण्ड विधान में सुधार कर, उसकी कठोरता को कम रखने का प्रयास किया। धौली तथा जौगढ़ के प्रथम पृथक शिलालेखों में वह नगर–व्यवहारिकों को आदेश देता दिखाई देता है कि वे बिना उचित कारण किसी को कैद अथवा शारीरिक यातनाएं ना दें। पाँचवें शिलालेख से ज्ञात होता है कि धर्ममहामात्र कैद की सजा पाये हुये व्यक्तियों का निरीक्षण करते थे। यदि उन्हें अकारण दण्ड मिला होता था तो उन्हें मुक्त करने का अधिकार प्राप्त था। राज्य में सम्राट सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी था। अशोक के प्रशासन में व्यवहार–समता और दण्ड–समता पर बल तो दिया गया था साथ ही साथ न्यायिक अधिकारियों को कार्यकारिणी के प्रभाव से मुक्त भी रखा गया था। ताकि न्यायिक अधिकारी निर्भय होकर स्वतंत्र रूप से न्याय का संपादन कर सकें। अशोक के न्याय प्रशासन में राजुक सर्वेसर्वा थे।

अशोक ने दण्ड विधान को उदार बनाने का प्रयास किया। उसने मृत्युदण्ड समाप्त नहीं किया लेकिन मृत्युदण्ड पाये हुए व्यक्तियों को तीन दिनों की मोहलत (राहत) दिये जाने का विधान किया गया ताकि वे अपने अपराधों का पश्चाताप कर सकें और आने वाले जीवन को सुधारने का प्रयत्न कर सकें।

इस प्रकार सम्राट अशोक जनहित के प्रति अत्यन्त प्रबुद्ध थे और यही कारण है कि इतने विशाल साम्राज्य में शान्ति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने में सफल रहे।

अशोक के उत्तराधिकारी :

सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि अशोक की मृत्यु 232 ई.पू. में हुई। अशोक के उत्तराधिकारियों के विषय में पुराणों, जैन और बौद्ध ग्रन्थों में अलग–अलग वर्णन मिलता है। दुर्भाग्यवश मेस्थनीज और कौटिल्य जैसे समकालीन विद्वानों ने भी मौर्य वंश के अंतिम राजाओं का वर्णन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में कतिपय शिलालेखों तथा कुछ एक जैन और बौद्ध ग्रन्थों के आधार पर अशोक उत्तराधिकारियों का प्रमाणिक एवं क्रमबद्ध इतिहास बता पाना कठिन है।

यह तो बताया जाता है कि अशोक के कई पुत्र थे। शिलालेख में उसकी रानी कारूवाकी के पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। जो कभी सिंहासनासीन नहीं हुआ। इसके अलावा अशोक के अन्य तीन पुत्रों महेन्द्र, कुणाल तथा जलौक के नाम अन्य प्राचीन ग्रन्थों में मिलते हैं। महेन्द्र अशोक का पुत्र था अथवा भाई यह भी अनिश्चित है।

वायु पुराण के विवरण को यदि देखें तो ज्ञात होता है कि अशोक के बाद अशोक के पुत्र कुणाल ने आठ वर्ष तक राज्य किया। कुणाल का पुत्र बन्धुपालित उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके बाद इन्द्रपालित राजा हुआ। इन्द्रपालित के बाद देववर्मन, शतधुनस और ब्रहद्रथ हुए।

इसी प्रकार मत्स्य पुराण में अशोक के उत्तराधिकारियों की सूची इस प्रकार मिलती है–दशरथ, सम्प्रति, शतधन्वन और बृहद्रथ। विष्णु पुराण में उनके नाम इस प्रकार दिये गये है–सुयशस, दशरथ, संगत, शालिशूक, सोमशर्मा,

 Copyright @ 2025 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-15, Issue-04, No.04, April: 2025

शतधन्वन, और बृहद्रथ। राजतंरगिणी के अनुसार अशोक के पश्चात् जलौक राजा बना जिसने काश्मीर पर ॉासन किया।

दिव्यावदान के अनुसार सम्पादी, बृहस्पति, बृपसेन, पुष्पधर्मन, तथा पुष्पमित्र अशोक के बाद हुए। जैन ग्रन्थों में राजगृह में बलभ्रद के शासन करने का उल्लेख मिलता है। तारानाथ के अनुसार गांधार में वीरसेन का राज्य था।

विभिन्न ग्रन्थों के तथ्यों में एकरूपता स्थापित करना इतना सहज कार्य नहीं है। उपरोक्त वर्णित राजाओं में से दशरथ के विषय में पुरातात्विक प्रमाण भी प्राप्त होते है उसके द्वारा नागार्जुनी पहाड़ियों पर आजीवक सम्प्रदाय के लिए तीन गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। यहाँ उत्कीर्ण लेखों से ज्ञात होता है कि उसने भी देवानांपिय की उपाधि धारण की थी। पुराणों और तथा बौद्ध ग्रन्थों की संयुक्त प्रमाणिकता से कुणाल का अस्तित्व सिद्ध होता है। कहा जाता है कि कुणाल अंधा था और उसका प्रिय पुत्र सम्प्रति उसका राजकाज संभालता था। इसलिए कुछ ग्रन्थ सम्प्रति को अशोक के तुरंत बाद का राजा स्वीकार करते हैं।

कुणाल के पुत्र को प्रायः बन्धु पालित सम्प्रति और विगताशोक भी कहा गया है। या तो ये सभी राजकुमार भाई–भाई थे, या ये सब नाम एक ही राजकुमार के थे। यदि इन्हें भाई स्वीकार किया जाए तो बन्धुपालित संभवतः दशरथ था, जो अशोक का पोता था इसका नाम नागार्जुनी पहाड़ियों में मिलता है। विभिन्न पुराणों के अनुसार वह सम्प्रति का पूर्वज था। डा0 रायचौधरी का विचार है कि जिस प्रकार बन्धुपालित को दशरथ माना जा रहा है उसी प्रकार इन्द्रपालित को सम्प्रति याशालिशूक कहा जा सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि सम्प्रति को जैन ग्रन्थों में वही सम्मान प्राप्त है जो अशोक को बौद्ध ग्रन्थों में डॉ. ए. स्मिथ के अनुसार सम्प्रति का राज्य अवन्ति से लेकर पश्चिमी भारत तक विस्तृत था। सम्प्रति के बादशालिशूक राजा हुआ जिसे गार्गि संहिता में एक अधार्मिक, धूर्त और झगड़ालू शासक बताया गया हैं। पुराणों के अनुसार शालिशूक के बाद शतधन्वन् और अंततोगत्वा बृहद्रथ मौर्य वंश का राजा हुआ। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी बृहद्रथ को मौर्यवंश का अंतिम शासक बताया गया है जो प्रज्ञादुर्बल था। उसका सेनापति पुष्पमित्र था जिसने 184 ई.पू. में बृहद्रथ की हत्या कर मौर्यवंश की सत्ता को समाप्त कर दिया।

सारांश :

सम्राट अशोक एक महान विजेता, कुशल प्रशासक, और सफल धार्मिक नेता था। वह इतिहास में कलिंग के राज्य को आत्मसात कर लेने के बाद सभी सैन्य महत्वाकाक्षाओं को त्यागने और अपने आध्यात्मिक पक्ष की ओर मुड़ने के लिए जाना जाता है। अशोक ने धम्म को बढ़ावा देने का फैसला किया और धम्म प्रचार से तत्कालीन राजनीतिक जीवन एवं सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। वह प्रथम शासक था जिसने मानव के नैतिक उत्थान के लिए इतना अधिक प्रयास किया।जटिल प्रशासनिक संरचना उसकी सफताओं का आधार बनी। हालांकि, अशोक के बाद, मौर्य साम्राज्य में तेजी से गिरावट देखी गई। अगली इकाई में इस राज्य की ऊँचाई उसके बाद की गिरावट पर करीब से व्याख्या की जाएगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

- थापर, रोमिला (1963) 1987 : अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज़, दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनि. प्रेस
- थापर रोमिला. अशोक एंड द डिक्लाईन ऑफ द मौर्याज, 1997
- रायचौधरी, एच.सी.: प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास, 1971
- सिंह, उपिन्दर : ए हिस्ट्री ऑफ ऐंशियंट एंड अर्ली मेडिवल इंडियाः फ्रॉम द स्टोन ऐज टू द 12वीं सेन्चुरी. 2008
- सिंह, उपिन्दर (2017) 2021 : प्राचीन एवं पूर्वमध्यकालीन भारत का इतिहास, नोएडा, पिर्यसन इंडिया एजुकेशन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
- मजुमदार, आर.सी. (व अन्य) (1951) 1968 : द एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इण्डियन पीपल, वॉल्यूम 2, चतुर्थ संस्करण, भारतीय विद्या भवन

Copyright @ 2025 Author